

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

टेलीकॉम परिपत्र सं.04/2012

सं.2010/टेली/11(2)/2/पार्ट IV


नई दिल्ली, दिनांक 6/10/2012

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें, सभी उत्पादन इकाइयां, कोर/इलाहाबाद,
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं. एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, आईजी/आरपीएफ,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कॉफमो, डीसीडब्ल्यू, आईआरपीएमयू तथा छपरा एवं रायबरेली की नई उत्पादन इकायां।

विषय : महाप्रबंधको एवे मंडल रेल प्रबंधकों के सीयूजी कनेक्शनों के संबंध में 3जी सेवा प्रदान करना।

भारत में कुछ टेलीकॉम सर्कलों में 3जी सेवा शुरू करने से बोर्ड(एमएल) ने निम्नलिखित को अनुमोदन दिया है :-

1. क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधको और मंडल रेल प्रबंधको को उनके सीयूजी कनेक्शन के संबंध में 3जी सेवा सबसक्राइब करने की अनुमति दी जाए।
 2. एआरटी में एक सिम में 3जी सेवाओं की भी अनुमति दी जाए।
 3. 3जी सेवा सबसक्राइब करने के लिए मौजूदा सीमा के अतिरिक्त प्रत्येक कनेक्शन के लिए प्रति माह 599/- रुपये की अनुमति दी जाए। यह खर्च राजस्व को प्रभार्य होगा।
2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
3. कृपया पावती दें।



(राकेश रंजन)

निदेशक/दूरसंचार

फोन:011-23388504, 030-44613

फैक्स:01123304690, 03044690


ई मेल: dtele@rb.railnet.gov.in

सं.2010/टेली/11(2)/2/पार्ट IV

नई दिल्ली, दिनांक 6/10/2012

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक(रेलें), कमरा नं.224, रेल भवन, नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।



कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. वित्त(व्यय)॥ एवं बजट शाखा, रेल भवन।
2. मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता/सभी भारतीय रेलें।
3. प्रबंध निदेशक/ रेलटेल कॉपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।